फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामस्वरूप उर्फ मिठ्ठनलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र

मु0नं0–97 / 2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.03.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पाडली बाढ तह0 सिकराय जिला दौसा का रहने वाला है। वाके गाम पाडली बाढ तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि वर्तमान खाता संख्या 5, 6, 7, 66, 67 एवं 112 में प्रार्थी का नाम मिठ्ठनलाल पुत्र रामसहाय दर्ज है जबकि प्रार्थी का सभी अन्य दस्तावेजात में नाम रामस्वरूप पुत्र रामसहाय दर्ज है। प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मं प्रार्थी के राजस्व कर्मियो द्वारा प्रार्थी बोलचाल की भाषा का नाम मिठ्ठनलाल पुत्र रामसहाय दर्ज कर दिया तथा कही मिट्ठुलाल पुत्र रामसहाय दर्ज कर दिया तथा कही मिठ्ठूलाल पुत्र रामसहाय कर दिया जबकि प्रार्थी का समस्त सरकारी दस्तावेजात में आधारकार्ड, जनाधारकार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजात में रामस्वरूप पुत्र रामसहाय दर्ज है जबकि जमाबंदी में मिठ्ठनलाल पुत्र रामसहाय दर्ज है इसलिए उक्त नाम की दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रामस्वरूप उर्फ मिठ्ठनलाल पुत्र रामसहाय दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी को ग्राम पाडली बाढ में रामस्वरूप एवं मिठ्ठनलाल दोनो नामो से जाना जाता है इसलिए प्रार्थी का नाम रामस्वरूप उर्फ मिठ्ठनलाल पुत्र रामसहाय दर्ज किया जाना उचित है। तथा ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि रामस्वरूप, मिठ्ठू एवं मिठ्ठन तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम मिठ्ठनलाल पुत्र रामसहाय के स्थान पर मिठ्ठनलाल उर्फ रामस्वरूप पुत्र रामसहाय दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	